न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 148/2020 जिला दौसा

1. नाथू उर्फ नाथूराम पुत्र भौरीलाल जाति जीना निवासी ग्राम रामसिंहपुरा तह0 व जिला दौसा।

—अपीलान्ट

बनाम

1. रामजीलाल
2. बाबूलाल
3. अर्जुन पिसरान मूल्या जाति कौली निवासी ग्राम रामसिंहपुरा तह0 व जिला दौसा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 06.09.2016 उनवानी नाथूसिंह बनाम रामजीलाल अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा।

उपस्थित—

1. श्री हेमराज गुर्जर वकील अपीलान्ट
2. श्री बच्चूलाल मीना वकील रेस्पोडेन्ट 1 से 3 की ओर से।
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय

दिनांक —06.09.2022

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, दौसा के निर्णय दिनांक 06.09.2016 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट नाथू उर्फ नाथूराम पुत्र भौरीलाल जाति जीना द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, दोसा के समक्ष प्रार्थना पत्र 14(4) इस आशय से पेश कर ग्राम कालीवाड तहसील दौसा के आराजी खसरा नं. 52 रकबा 0.13 है0 भूमि को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 15.07.1999 को रेस्पोडेण्ट 1 लगायत 3 के पक्ष कर दिया गया जिसे निरस्त फरमाये जाने की अपील की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का की जॉच रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 06.09.2016 को प्रार्थना पत्र 14(4) खारिज कर आवंटन आदेश दिनांक 15.07.1999 को यथावत रखे जाने के आदेश दिये गये।

जिला कलक्टर, दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 06.09.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट नाथू उर्फ नाथूराम पुत्र भौरीलाल द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम धारा 5 के साथ प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर, दौसा दिनांक 06.09.2016 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया ग्राम कालीवाड तहसील दौसा के आराजी खसरा नं. 52 रकबा 0.13 है0 भूमि कृषि योग्य नहीं है एवं अपीलांट की आराजी के सहारे लगती हुई भूमि है जिस पर अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। आवंटन शुदा भूमि का अंकन काफी वर्षों से नहीं हुआ एवं सिवायचक लगानी भूमि रिकार्ड में दर्ज होने की वजह से प्रार्थी को उक्त भूमि का आवंटन दिनांक 22.06.2000 को हुआ एवं उसकी पालना में अपीलांट के हक में नामान्तरकरण संख्या 34 भरा जाकर तस्दीक भी हो चुका है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यों व कब्जे की जॉच किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं

Scanned by CamScanner

होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर दिनांक 06.09.2016 को निरस्त किया जावे।

रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगायत 3 के अधिवक्ता ने अपीलांट के साथ सहमति जाहिर की।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 15.07.1999 को ग्राम कालीवाड तहसील दौसा के आराजी खसरा नं. 52 रकबा 0.13 है0 भूमि का आवंटन रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगायत 3 को विधिवत रूप से उदघोषणा कर पूर्ण कोरम से किया गया है। आवंटन कमेटी को खाली भूमि को आवंटन करने का पूर्ण अधिकार था जिसके पश्चात् प्रार्थी आवंटित भूमि पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। केवल असत्य कथनों के आधार पर प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। पुनः उसी भूमि का दिनांक 22.06.2000 को बिना पुराने आवंटन को निरस्त किये अपीलांट के पक्ष में आवंटन होना विधिवत नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर, दौसा उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। अपीलांट को प्रथम जानकारी दिनांक 31.01.2017 को प्राप्त होना बताया गया है। अतः न्यायहित में अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। प्रस्तुत प्रकरण में विवादित आराजी खसरा नं. 52 रकबा 0.13 है0 भूमि का आवंटन दिनांक 15.07.1999 को रेस्पोडेण्ट 1 लगायत 3 के पक्ष में किया गया है। अपीलांट इस आवंटन को इस आधार पर निरस्त करवाना चाहता है कि विवादित भूमि उसकी खातेदारी की भूमि से लगती हुई है तथा विवादित भूमि पर उसका कब्जा है। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि खातेदारी की भूमि से लगती हुई भूमि होने मात्र से सिवायचक भूमि पर अपीलांट का कोई अधिकार नहीं माना जा सकता। अपीलांट द्वारा जो आधार बताए गए हैं उसके लिए अपीलांट को सक्षम राजस्व न्यायालय से वाद के द्वारा ही कोई अनुतोष दिया जा सकता है। इस संबंध में अपीलकर्ता द्वारा वर्ष 2011 में राजस्व न्यायालय में उद्घोषणा का दावा दायर करने का उल्लेख भी किया है। ऐसी स्थिति में कोई भी अनुतोष राजस्व वाद के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है एवं अपीलांट द्वारा जो आधार बताए गए हैं उसके आधार पर आवंटन 14(4) में निरस्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा के निर्णय दिनांक 06.09.2016 में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं मानी जा सकती एवं अपील स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलान्ट निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा का निर्णय दिनांक 06.09.2016 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ. गिरीश पाराशर)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner